BY SPEED POST

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

F. No. 56/216/2014/PPS-I **Dated: 25th March, 2015.**

To

The President,
Jan Shakti Party of India,
House No.2, Bhamian Khurd,
Bhamian Road, Ludhiana,
Punjab-141010

Subject: - **"Jan Shakti Party of India"** – Registration under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, as a political party – Regarding.

Sir,

I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application dated **30.06.2014** for registration of **"Jan Shakti Party of India"** as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party before the Commission on **15.01.2015** in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicant in the newspapers, has registered the **"Jan Shakti Party of India"** as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from **17.03.2015.**

2. As provided in sub-Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters. The communication of such changes shall be accompanied by the following:

(i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party constitution and the full proceedings of the meeting at which the decision of such changes is taken.

(ii) Names of the office-bearers attending the said meeting.

(iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members in the said meeting.

3. It may be noted that the registration will not entitle the party to the reservation of any exclusive symbol for it. The candidates duly set up by the party at an election will be entitled to benefits of preference in allotment of free symbols over independent candidates under paragraph 12 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968. However, under the provisions of paragraph 10B of the Symbols Order, the candidates set up by a registered un-recogonised political party contesting from a minimum of 10% of the seats, at a general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols as a one time facility, provided the Party fulfills each of conditions mentioned in the said Para 10B. Please take note that the above facility of common symbol will be available to your Party at only one general election either to a State Legislative Assembly or to the Lok Sabha, as your Party may opt for.

4. As per the provisions of Section 29B and 29C of the Representation of the People Act, 1951 (dealing with contribution to political parties) the party is required to submit to the Commission, a report of contribution received in excess of Rs. 20,000/- in a financial year, in the format in Form 24A appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. In such report, the party has to mention the Permanent Account Number (PAN) of the party. Therefore, you are advised to obtain Permanent Account Number (PAN) in respect of the party and inform the details of the same to the Commission within six months of the registration.

5. The Registration No. of your party is **56/216/2014/PPS-I.**

6. It is also informed that the Commission is not concerned with the flag of political parties.

Yours faithfully,

(VARINDER KUMAR)
SECRETARY

F. No. 56/216/2014/PPS-I. **Dated: 25th March, 2015**

<u>Copy to:</u>

(i) The Chief Electoral Officer, Punjab, Chandigarh .
(ii) The State Election Commissioner, Punjab, Chandigarh
(iii) Political Party Section-III
(iv) Guard File.

(VARINDER KUMAR)
SECRETARY

स्पीड पोस्ट द्वारा

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

फा0 सं0: 56/216/2014/रा0द0अनु0-I/ 890

तारीख: 25 मार्च, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष,
जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया,
मकान नं.2, भामियन खुर्द,
भामियन रोड, लुधियाना,
पंजाब- 141010.

विषय:- **"जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया"**-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने **"जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया"** का राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आपके **तारीख 30.06.2014 के** आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में तारीख **15.01.2015** को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाषित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन **"जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया"** को दिनांक **17.03.2015** से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा । इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-

(i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
(ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
(iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण पार्टी को किसी अनन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है । निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन, निर्वाचन में पार्टी द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गए अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आबंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के ऊपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर–मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, एक–बारगी सुविधा के रूप में, मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो । यह उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रतीक की उपर्युक्त सुविधा केवल एक बार या तो लोक सभा या राज्य विधान सभा, जैसा आपकी पार्टी चाहे, में से किसी एक साधारण निर्वाचन के लिए उपलब्ध होगी ।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अंतर्गत (राजनीतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में रू0 20,000/– से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

5. आपके दल की पंजीकरण संख्या **56/216/2014/रा0 द0** अनु0–। है

6. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग का राजनीतिक दलों के झण्डे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(वरिन्दर कुमार)
सचिव

फा0 सं0: 56/216/2014/रा0द0अनु0–। **तारीखः 25 मार्च, 2015**

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, चंडीगढ़ ।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पंजाब, चंडीगढ़ ।
3. राजनैतिक दल अनुभाग – III
4. गार्ड फाईल।

(हस्ताक्षर)

(वरिन्दर कुमार)
सचिव